न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–07, जयपुर महानगर द्वितीय।

पीठासीन अधिकारी : **प्रदीप कुमार द्वितीय, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश कैडर)**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–177/2025
सी.आई.एस.संख्या (1716/2025)

विनोद कुमार खारवाल पुत्र श्री जगदीश नारायण, उम्र–50 वर्ष, निवासी दामोदर किराना स्टोर के पीछे, टीला नंबर–1, सत्य सांई कॉलोनी के पीछे, जवाहर नगर कच्ची बस्ती, जयपुर।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक **––अप्रार्थी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फौजदारी परिवाद प्रकरण संख्या 148/2016 उनवानी विरेन्द्र कुमार लुहाड़िया बनाम विनोद कुमार खारवाल (न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, ए.आई.एक्ट संख्या–1, जयपुर महानगर द्वितीय) अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थितिः–

1– **श्री संतोष कुमार शर्मा,** विद्वान् अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2– विद्वान् अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज. सरकार।

आ दे श

दिनांक 04.07.2025

1– प्रार्थी/अभियुक्त–**विनोद कुमार खारवाल** की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर द्वितीय के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उक्त प्रार्थना पत्र विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। जमानत प्रार्थना पत्र की प्रति विद्वान् अपर लोक अभियोजक को दिलवाई जाकर विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी विरेन्द्र कुमार लुहाड़िया द्वारा अभियुक्त विनोद कुमार खारवाल के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, के आधार पर

न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2016 को अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं अभियुक्त को तलब किया गया, किन्तु अभियुक्त के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 14.03.19 को उसे मफरूर घोषित कर स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया, जिसकी पालना में अभियुक्त को दिनांक 05.04.19 को पुलिस थाना विद्याधर नगर द्वारा न्यायालय में पेश करने पर अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया गया। तत्पश्चात् अभियुक्त के पुनः अनुपस्थित रहने पर दिनांक 16.01.20 को उसकी जमानत जब्त कर उसे गिरफ्तारी वारण्ट से तलब करने का आदेश दिया गया। तदुपरान्त दिनांक 12.07.22 को अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया गया। आगामी पेशियों पर अभियुक्त के फिर से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 06.03.24 को पुनः उसके जमानत–मुचलके जब्त कर जरिये गिरफ्तारी वारण्ट तलब करने का आदेश दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी वारण्ट की पालना में पेश करने पर दिनांक 30.03.2024 को पुनः जमानत पर रिहा किया गया। दिनांक 25.10.2024 को अभियुक्त के फिर से अनुपस्थित रहने के कारण उसके जमानत–मुचलके जब्त कर गिरफ्तारी वारण्ट से तलब करने का आदेश दिया गया एवं दिनांक 21.11.24 को उसे मफरूर घोषित कर धारा 82–83 दं.प्र.सं. की कार्यवाही पृथक से खोली जाकर उसे स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट से तलब करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में अभियुक्त को दिनांक 30.06.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को उक्त न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया।

3– बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4– दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी निर्दोष है, वह न्यायालय में जानबूझकर अनुपस्थित नहीं हुआ है, बल्कि कमाने–खाने के

लिये जयपुर से बाहर चले जाने व उसको पेशी का ज्ञान नहीं होने की वजह से हआ है, जो कि न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थी 50 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा परिवार में एक मात्र कमाने वाला सदस्य है, जिसे यदि जमानत पर रिहा नहीं किया गया, तो उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी विचारण न्यायालय में तारीख पेशियों पर उपस्थित होता रहेगा। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत–मुचलके पेश करने हेतु तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

5– जबकि विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध कर निवेदन किया कि अभियुक्त ने न्यायालय में बार–बार जानबूझकर अनुपस्थित रहकर जमानत की प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने से प्रकरण का विचारण प्रभावित होगा। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खाारिज किया जावे।

6– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का आरोप है, जिसमें विचारण प्रारम्भ होकर पत्रावली साक्ष्य परिवादी में लम्बित है। यद्यपि, अभियुक्त द्वारा कई बार अनुपस्थित रहकर विचारण की कार्यवाही को प्रभावित किया है, किन्तु प्रकरण अभी विचारण के प्रारम्भिक स्तर पर है एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। चूंकि प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.06.2025 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है।

8– अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के प्रकाश में प्रकरण के गुणावगुण पर बगैर कोई टिप्पणी किए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को और अभिरक्षा में रखा जाना उचित नहीं पाते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना न्यायोचित समझता है।

आ दे श

9– परिणामस्वरूप प्रार्थी/मुलजिम–**विनोद कुमार खारवाल** पुत्र श्री जगदीश नारायण, उम्र–50 वर्ष, निवासी दामोदर किराना स्टोर के पीछे, टीला नंबर–1, सत्य सांई कॉलोनी के पीछे, जवाहर नगर कच्ची बस्ती, जयपुर की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत आवेदन स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/मुलजिम विद्वान् विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/–रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) का बंधपत्र और 25,000/–25,000/– की दो मौतबीर जमानतें** निम्नांकित शर्तो सहित पेश कर तस्दीक करा देवे किः–

1. अभियुक्त दौराने विचारण प्रत्येक पेशी पर व न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर नियमित रूप से उपस्थित होगा,
2. अभियुक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा,
3. अभियुक्त प्रत्यक्षतः व अप्रत्यक्षतः प्रकरण के गवाहान को कोई उत्प्रेरणा या धमकी नहीं देगा, तथा
4. न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नही छोड़ेगा,

तो उसे न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, ए.आई.एक्ट संख्या–1, जयपुर महानगर द्वितीय के फौजदारी परिवाद प्रकरण संख्या 148/2016 उनवानी विरेन्द्र कुमार लुहाड़िया बनाम विनोद कुमार खारवाल, में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(प्रदीप कुमार द्वितीय)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–7,
जयपुर महानगर–द्वितीय

10– आदेश आज दिनांक 04.07.2025 को विवृत न्यायालय लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सरे इजलास उद्घोषित किया गया।

(प्रदीप कुमार द्वितीय)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–7,
जयपुर महानगर–द्वितीय